50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 866–दो/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26 मार्च, 2015 – पारित व्दारा कलेक्टर जिला भिण्ड – प्रकरण क्रमांक 11/2011–12 निगरानी

विजय कुमार पुत्र कैलाश नारायण शर्मा
ग्राम दवोहा तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामाजी पुत्र बेनीराम शर्मा
2– श्रीमती त्रिवेणी पत्नि रामाजी शर्मा
ग्राम दवोहा तहसील व जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुशील कुमार अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –1 –2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–3–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम दवोहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 988 रकबा 0.46 हैक्टर अंगद शर्मा पुत्र रामाजी शर्मा ने पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18–11–2011 से क्रय की तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा, जिस पर आवेदक

ने आपत्ति प्रस्तुत की। हलका पटवारी ने नामान्तरण विवादग्रस्त होने पर तहसीलदार भिण्ड को प्रस्तुत किया। तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 35 अ-6/10-11 दर्ज किया तथा पक्षकारों की सुनवाई आरंभ की। आपत्तिकर्ता आवेदक को साक्ष्य के अवसर देने के वाद साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-11 पारित किया तथा मौखिक साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी क्रमांक 11/2011-12 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-3-2015 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत कीं, जिनकी प्रति आवेदक के अभिभाषक को दिलाई जाकर बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख तथा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उभय पक्ष के बीच वादग्रस्त भूमि को लेकर माननीय व्यवहार न्यायालय में स्वत्व विवाद के प्रकरण प्रचलित रहे है तथा माननीय व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय से भी प्रकरण निराकृत हुये हैं। चूँकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण तहसीलदार मूल न्यायालय होने से व्यवहार न्यायालय के आदेशों के

पालन हेतु बाध्य हैं । फलतः राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही व्यर्थ हो जाने से विचाराधीन निगरानी भी व्यर्थ है। पक्षकार माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर तदाशय की कार्यवाही कराने के लिये स्वतंत्र हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष पाने के पात्र नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 11/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-3-2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर